यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, देहरादून** के माह 01/2021 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री जोगिंदर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.01.2021 से 21.01.2021 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री वी.पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 13.01.2020 से 17.01.2020 तक सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 01/2019 से 12/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** कार्यालय मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, देहरादून का कार्य सिंचाई संबन्धित निर्माण कार्य सम्पन्न कराना है। भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी.

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2018-19	-	-	177.47	163.28	-	-
2019-20	-	-	4.37	156.99	-	-
2020-21 (till 12/2020)	-	-	2.93	108.69	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(` में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	----------शून्य----------					
2019-20						
2020-21						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। इकाई **"सी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

-- प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन,

-- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

-- मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, देहरादूनको आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II'अ'

प्रस्तर-1: एक बैराज निर्माण कार्य पर वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियोंसे अधिक `21.53करोड़ के कार्य-निष्पादन,ठेकेदार को `6.44 करोड़का अनियमित भुगतान,`1.05करोड़ की अनियमित अतिरिक्त मदों की स्वीकृति एवं विचलनकी के माध्यम से`51.02 लाख का परिहार्य व्यय।

उत्तराखंड शासन द्वारा नाबार्ड (XXIII) वित्तपोषण के अंतर्गत जनपद देहरादून के डोईवाला विकासखण्ड में जाखन नदी पर सूर्यधार बैराज (स्व0 गजेंद्र दत्त नैथानी उर्फ ताऊजी जलाशय)निर्माण हेतुशासनादेश स0-2687/II-2017-02(01)/2017टी.सी. दिनांक 22-12-2017 के माध्यम से `50.24 करोड़ की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्यालय मुख्य अभियंता (स्तर-2),सिंचाई विभाग,देहरादूनमें उपरोक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन (01/2021) में पाया गया था कि कार्यालय द्वारा उक्त बैराज के सिविल कार्यों हेतु `29.58 करोड़ की आंशिक तकनीकी स्वीकृति (स0-12/2018-19 दिनांक 20-11-2018) प्रदान की गई थीजबकि कार्यालय की मासिक प्रगति आख्या में इस कार्य पर दिसम्बर 2020 तक का व्यय `4887.56 लाख का व्यय दर्शाया जा रहा था। यद्यपि, कार्यालय द्वारा इस कार्य के लिए `64.13 करोड़ की लागत का पुनरीक्षित आगणन शासन को जुलाई 2020 में प्रेषित किया गया था परन्तु शासन स्तर से लेखा परीक्षा तिथि तक उक्त की स्वीकृति जारी नहीं हुई थी।

कार्यालय अभिलेखों से यह तथ्य भी उजागर हुये थे कि कार्य निष्पादन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून के अधीन था और इस कार्य का ठेका अधीक्षण अभियंता स्तर से गठित अनुबन्ध स0-01/एस.ई./2018-19 के माध्यम `18.37 करोड़ की लागत हेतु मै0 अरुण कन्स्ट्रकशन, अमरोहा, उत्तर प्रदेश को प्रदान था। कार्यालय पत्रावली में मोजूद इस ठेकेदार के पत्र दिनांक 25-11-2020 से ज्ञात हुआ था कि ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध पर कुल `48.26 करोड़ की लागत (जी.एस.टी. सहित) के कार्य पूर्ण किए जा चुके है जिसके सापेक्ष उन्हें विभाग द्वारा `37.83 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और शेष `10.42 करोड़ का भुगतान लम्बित है। यह भी कि इस सूर्यधार बैराज निर्माण कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा विगत माह में किया जा चुका है।

इसप्रकार वर्णित तथ्य इंगित करते है कि विभाग द्वारा शासन को प्रेषित के `64.13 करोड़ के पुनरीक्षित आगणन के आधार पर पहले ही कार्य पूर्ण किए जा चुके है जिसमें से कार्य हेतु अबतक स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि में से `48.87 करोड़ के व्यय/भुगतान किए जा चुके है और अवशेष धनराशियों का दायित्व सृजन किया गया है।

हालांकि,लेखा परीक्षा में पाया गया था कि मुख्य अभियंता (स्तर-2), देहरादून द्वारा कार्य हेतु उपरोक्त तकनीकी स्वीकृति `29.58 करोड़ के अतिरिक्त अपने पत्रांक स0-2371 दिनांक 09-05-2019 के माध्यम से `367.62 लाख लागत की अतिरिक्त मदें तथा `125.94 लाख के लागत के विचलन स्वीकृत किए गए थे।पुनः पत्रांक स0-4841 दिनांक 14-08-2019 के माध्यम से `472.02 लाख लागत के विचलन तथा पत्रांक स0-7295(I) दिनांक 15-09-2019 के माध्यम से `336.43 लाख की लागत की अतिरिक्त मदें स्वीकृति की गई थी। इस प्रकार, कार्य की विद्यमान वित्तीय स्वीकृति `50.24 करोड़ के सापेक्ष सक्षम प्राधिकारी (मुख्य अभियंता) द्वारा कुल `42.60 करोड़ (`2958लाख + `1302.01 लाख) तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी की गई थी। अतः स्पष्ट था कि विभाग द्वारा शासन से पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति एवं सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति से अधिक`**21.53करोड़**(`64.13 करोड़ - `42.60 करोड़)की लागत के अतरिक्त कार्य-निष्पादन करवाए गए थे जो नीचे दिये गए वित्तीय सिद्धांतों/प्रावधानों के अनुसार पूर्णतया अनियमित थे।

- It is a fundamental rule that no work shall be commenced unless a properly detailed design and estimate have been sanctioned, allotment of funds made [Rule-375- (a) of the Financial Hand Book (FHB:Volume-6)].
- Expenditure on a work must be limited to the financial and technical sanctions, and any subsequent changes allowed by the original sanctioning authority for material and structural changes [Rule-317 & 318 of FHB, Vol.-6].
- Rule-154 of the Uttarakhand Budget Manual provides that:
  - there should exist sanction, either special or general, accorded by competent authorityforauthorising expenditure.
  - incurring of expenditure without sufficient sanction and creation of liability are an financial irregularity.
- The Delegation of Financial Power (Para-3.2) also does not permit incurring of any expenditure without having sufficient sanction and allocation

उपरोक्त के अतिरिक्त, लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ भी उजागर हुई थी:

- ठेकेदार मै)0 अरुण कन्स्ट्रकशन के साथ (गठित अनुबन्ध स0-01/एस/.ई.2018-19 की लागत `18.37 करोड़ थी और उपरोकतानुसार दिये गए विवरण के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अनुवंध (मुख्य अभियंता) के सापेक्ष`13.02 करोड़ की लागत की अतरिक्त मदें एवं विचलन स्वीकृत किए गए थे। इसप्रकार, इस ठेकेदार को आवंटित कुल कार्यों की लागत मात्र `31.39 करोड़ थी जबकि ठेकेदार द्वारा `48.26 करोड़ की लागत के कार्यों का निष्पादन किया गया था जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा उसे `37.83 करोड़ भुगतान भी प्रदान किया जा चुका है। उक्त अतिरिक्त कार्य निष्पादन )`16.87 करोड़) एवं भुगतान (`6.44 करोड़के समर्थन में सक्षम (प्राधिकारी स्तर की न तो कोई अन्य अतरिक्त मदों की स्वीकृति निर्गत थी और न ही खंड द्वारा भुगतान से पूर्व कोई विचलन स्वीकृत करवाया गया था। अतः स्पष्ट था कि ये अतरिक्त कार्यनिष्पादन/भुगतान अनियमित - थे।

- पत्रांक स0-2371 दिनांक 09-05-2019 के माध्यय से स्वीकृत `367.62 लाख लागत की 07 अतिरिक्त कार्यमदों में `162.62 लाख के प्रावधान पहाड़ कटान की 03 मदों (Soil: 19351.21cum @`121/cum= `23,41,501; Ordinary Rock: 11559.31cum @ `182.30/cum= `21,03,794; एवं Hard Rock: 50715.52cum @ `233/cum= `1,18,16,715) हेतु थे जबकि `112.44 लाख की लागत की विचलन की स्वीकृति पहाड़ कटान से प्राप्त 89,955 घन मी0 (दर `125/cum) अतिरिक्त मलवे को 2 किमी दूरी पर निस्तारित करने हेतु। यहाँ इस आशय का उल्लेख किया जाना आवश्यक हो जाता है कि किसी चालू कार्य के अन्तर्गत अतिरिक्त मदें (Extra items) वे कहलाती है जो कार्य की मूल स्वीकृति एवं गठित अनुबंध का भाग नहीं होती है जबकि विचलन का तात्पर्य गठित अनुबंध में दी गई मात्रा के सापेक्ष वास्तविक निष्पादन के अनुसार हुए मात्रात्मक विचलन (Variation in quantities) से होता है।

- लेखा परीक्षा में पाया गया था कि मुख्य अभियंता द्वारा प्रदत्त उपरोक्त वर्णित 03 अतिरिक्त मदों हेतु `162.62 लाख की स्वीकृति अनावश्यक/अनियमित थी क्योंकि इन तीनों कार्यमदों के प्रावधान स्वीकृत आगणन एवं गठित अनुबंध (स0-01/एस.ई./2018-19) में पहले से ही विद्यमान थे। यह भी कि इन 03 अतिरिक्त मदों हेतु प्रदत्त दरों में पहाड़ खुदान से साथ प्राप्त मलवे को 1 किमी दूरी पर निस्तारण के प्रावधान इस तथ्य के वावजूद अनुमोदित किए गए थे कि जबकि प्राप्त मलवे को 2 किमी दूरी पर निस्तारित करने हेतु मद पृथक रूप में पहले ही विद्यमान और इसी स्वीकृति के तहत बढ़ी हुई मात्रा के विचलन स्वीकृत किए जा रहे थे। अतः स्पष्ट था कि कटान से प्राप्त मलवे के 1 किमी निस्तारित हेतु दोहरे/दुगुने प्रावधान स्वीकृत थे जिसके परिणामस्वरूप

इन 03 अतिरिक्त मदों से प्राप्त 81,626 घन मी0 मलवे की मात्रा हेतु `51.02 लाख (दर `125/2) का परिहार्य व्यय हुआ।

उपरोक्त वर्णित प्रकरणों को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने एवं उत्तर प्रस्तुत किए जाने हेतु लेखा परीक्षा समाप्ति के उपरांत भी समुचित समय प्रदान किए जाने के उपरान्त भी मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा मात्र यह उत्तर दिया गया था कि उत्तर मण्डल/खण्ड से प्राप्त कर आपको उपलब्ध करा दिये जाएगे। कार्यालय की लेखा परीक्षा के प्रति जबाबदेही की अस्विकारोक्ति इस तथ्य के बावजूद थी कि उल्लेखित स्वीकृतियाँ (मूल/पुनरीक्षित, अतरिक्त मदें व विचलन) स्वयं इसी कार्यालय द्वारा जारी की गई थी और अनियमित कार्य-निष्पादन/भुगतान के समस्त प्रकरण संबन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पहले (11/2020) ही संज्ञान में लाये जा चुके थे।

अत: पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति के बिना कार्य परकिए गए `13.89 करोड़ के अतिरिक्त कार्य-निष्पादन, तकनीकी स्वीकृति से अधिक `6.27 करोड़ के भुगतान,`1.05 करोड़ की अनियमित अतिरिक्त मदों की स्वीकृति एवं विचलन के माध्यम से हुए `51.02 लाख के परिहार्य व्यय येप्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II'ब'

प्रस्तर-1: शत प्रतिशत केंद पोषित योजना के एक कार्य में दोषपूर्ण स्वीकृति अथवा देय राशियों की कम मांग के परिणामस्वरूप `29.29लाख की प्राप्ति से वंचित रहना।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) के अधीन कार्यरत राष्ट्रिय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा NRCP (Nation River Conservation Plan) एवं NGRBA(National Ganga River Basin Authority) के अधीन तैयारकी जाने वाली परियोजनाओं एवं कार्यों के निर्माण हेतु जारी (दिसम्बर 2010) दिशानिर्देशिका (Guidelines) के प्रस्तर-1.4 में इस आशय के उल्लेख है कि कार्यदायी संस्थाओं को वर्तमान में देय कार्य की लागत के 8 प्रतिशत सेंटेज प्रभार (CentageCharges) की बजाय निम्नविवरण अनुसार 14 प्रतिशत तक के सेंटेज प्रभार संस्तुत/अनुमत्य होगे:

Sl. No	Items	Current Provisions (NRCD/MoEF)	Recommended revised Percentage
1-	Preliminary works (Survey, investigations, report preparation, tender documents, hiring specialist, training, education, capacity building, computer software/hardware and consumables).	3.00%	3.00%
2-	Establishment & Supervision	-	6.75%
3-	Special T & P	1.00%	1.00%
4-	Audit & Accounts Charges	1.00%	0.25%
5-	Contingency	3.00%	3.00%
Total		**8.00%**	**14.00%**

कार्यालय मुख्य अभियंता (स्तर-2),सिंचाई विभाग,देहरादून के अभिलेखों में वर्ष 2020-21 के दौरान निर्गत तकनीकी स्वीकृतियों की लेखा परीक्षा (जनवरी 2021) में पाया गया था कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी में 100 प्रतिशत केंद्र पोषित योजना के तहत स्वीकृत मनेरी बाजार स्थित सेवा आश्रम के नीचे भागीरथी नदी के दाहिने तट बाढ़ सुरक्षा एवं स्नान/मोक्ष घाट निर्माण कार्य लागत `713.47 लाख (कार्यों की शुद्द लागत `606.45 लाख) से संबन्धित तकनीकी स्वीकृति स0-15/2020-21 में उपरोकतानुसार देय 8 प्रतिशत अथवा 14 प्रतिशत के प्रभारों की बजाय केवल 3.5 प्रतिशत के प्रभारों (Contingency-3%एवं Preliminaryworks-0.50%) हेतु प्रावधानसम्मलित/अनुमोदित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप विभाग को 8 प्रतिशत के देय न्यूनतम प्रभारों तुलना में भी 4.5 प्रतिशत के कम प्रभार अर्थात `27.29 लाख की प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा था। कार्य की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति महानिदेशक (परियोजना),NMCG (Nation Mission for Clean Ganga), जल-शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त (05/2020) थी।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया था कि इस कार्य-योजना को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने से पूर्व उपरोकतानुसार कम सेंटेज प्रभार को भारित किए जाने का प्रश्न, कार्य-योजना के मूल्यांकन हेतु नामित तृतीय पक्षकार (IIT-Roorkee) द्वारा भी मार्च 2020 उठाया गया था, बावजूद इसके विभाग द्वारा पूर्ण सेंटेज प्रभारों हेतु संसोधित आगणन भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किया गया था।

प्रकरण को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंताकार्यालय द्वारा मात्र यह उत्तर दिया गया था कि उत्तर मण्डल/खण्ड से प्राप्त कर आपको उपलब्ध करा दिये जाएगे।

इसलिए,कार्य की दोषपूर्ण स्वीकृति/सेंटेज प्रभारों की कम मांग के परिणामस्वरूप केंद्र से `29.29लाख की प्राप्ति से वंचित रहने का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
03/2001-02	1	1	-
31/2014-15	-	1	-
29/2017-18	-	1	-
104/2018-19	-	1 & 2	-
100/2019-20	-	1, 2 & 3	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि आख्या मण्डल/ खंडों से प्राप्त कर कार्यालय महालेखाकार (ले.प.) को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. सतत् अनियमितताएं: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र॰ सं॰	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री पूरन चंद	मुख्य अभियंता स्तर II	27.07.19 से 31.10.2020 तक
2.	श्री जयपाल सिंह	मुख्य अभियंता स्तर II	01.11.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य अभियंता, स्तर II, सिंचाई विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ ए॰एम॰जी॰- I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी. - I